मॉडर्न कॉलेज ऑफ लॉ, गाजियाबाद

(चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित)

व्यावसायिक नैतिकता, अधिवक्ता की जवाबदेही और बार बेंच संबंध

एलएल.बी. तृतीय सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल (के-३००५)

सत्र (2024-27)

श्रीमती राजनीता,
विभागाध्यक्ष,
एमसीएल, सीसीएसयू मेरठ,
को प्रस्तुत की गई है|

नाम.....
पिता का नाम.....
अनुक्रमांक संख्या.....
नामांकन संख्या.....
के द्वारा प्रस्तुत की गई है

टिप्पणी.....।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

आभार

मैं अपने विषय के संकाय प्रभारी और हमारी विभागाध्यक्ष श्रीमती राजनीता, एवं प्राचार्य प्रो. (डॉ.) निशा सिंह का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यह अद्भुत कार्य करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करने में, मैं सभी संकाय सदस्यों का विभिन्न प्रकार से मेरी सहायता करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं उन सभी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल फ़ाइल लिखने में मेरा मार्गदर्शन किया। मैं उन सहपाठियों और टीम के सदस्यों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुमूल्य टिप्पणियाँ और सुझाव दिए जिनसे मुझे अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को बेहतर बनाने में मदद मिली।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रैक्टिकल फाइल के संबंध में नियम

व्यावसायिक नैतिकता, वकीलों के लिए जवाबदेही और बार-बेंच संबंध (K-3005) विषय की प्रैक्टिकल फ़ाइल के संबंध में छात्रों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा। प्रैक्टिकल फ़ाइल को इसके साथ दी गई विषय-सूची और निर्देशों के अनुसार ही तैयार किया जाना है।

फाइल तैयार करि के नियम एवं निर्देश:

- फ़ाइल प्रत्येक छात्र द्वारा **अपनी हस्तलिपि** में ही तैयार की जानी चाहिए।
- आपकी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में **फ़ाइल 40 अंकों की होगी और वाइवा 10 अंकों (कुल 50)** का होगा।
- फ़ाइल **A4 आकार के कागज़ (केवल एक तरफ़ा)** पर बिना बॉर्डर के उचित
- स्पेसिंग के साथ तैयार की जाएगी, लेकिन मार्जिन कागज़ के बाईं ओर (1.0") और दाईं ओर (0.5") रखा जाएगा। कागज़ सादा होना चाहिए (लाइनों वाले पृष्ठ या ड्राइंग पेपर की अनुमति नहीं है)।
- पृष्ठ के पीछे कोई लेखन नहीं होगा।
- छात्र प्रैक्टिकल फ़ाइल लिखने के लिए केवल काले और नीले रंग के बॉल पेन का उपयोग करेंगे।
- आवरण पृष्ठ चमकदार कागज़ पर रंगीन मुद्रित होगा।
- **पूरी फ़ाइल बिना सर्पिल** के विषय शिक्षक को निरीक्षण और जाँच के **लिए 04 अक्टूबर 2025** तक जमा करनी होगी। किसी भी कारण से उपरोक्त तिथि के बाद किसी भी फ़ाइल का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी फ़ाइल उपरोक्त तिथि तक या उससे पहले जमा कर दें। जाँच के बाद सुधार की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी को भी लंबित या शेष कार्य जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो पहली बार जमा करते समय जमा नहीं किया गया था।

जो लोग उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, वे आगे के परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

अनुक्रमणिका

क्र.सं	नवषयवस्तु	पृष्ठ सं.	शिक्षक हस्ताक्षर
	भाग-ए (अभिवक्ता अनधनियम-1961)		
1)	अवधिक्ताओ की व्यावसायिक नैतिकता और जवाबदेही क्या है? पेशे और व्यवसाय के बीच अंतर पर भी चर्चा करें।		
2)	भारत में कानूनी पेशे की प्रकृति और महत्व पर चर्चा करें? वकील कानून सुधार में कैसे सहायक हो सकते हैं और उन्हें केवल वास्तविक मामलों को ही स्वीकार करना चाहिए, समझाएँ।		
3)	संक्षेप में चर्चा करें:a • बीसीआई की स्थापना • राज्य बार काउंसिल की शक्तियाँ एवं कार्य • भारतीय बार काउंसिल की शक्तियाँ एवं कार्य • एआईबीई • अनुशासन समिति		
4)	निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें: - • विधि शिक्षा समिति • जनहित याचिका • पूर्व-श्रोता अधिकार • न्यायिक समीक्षा • वरिष्ठ अधिवक्ता		
5)	बार और बेंच के संबंध पर चर्चा करें?		
6)	केस लॉ के साथ निम्नलिखित का अर्थ और उद्देश्य पर टिप्पणी लिखें : - • बंदी प्रत्यक्षीकरण • परमादेश • अधिकार-पृच्छा • प्रतिषेध • उत्प्रेषण		

7)	व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टाचार के मानक I. न्यायालय के प्रति कर्तव्य II. मुवक्किल के प्रति कर्तव्य III. विरोधियों के प्रति कर्तव्य IV. सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य V. अन्य कर्तव्य		

8)	व्यावसायिक कदाचार से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक कदाचार के लिए दंड की चर्चा करें और व्यावसायिक कदाचार के मामले में उपलब्ध उपायों पर भी चर्चा करें। कम से कम दो प्रमुख उदाहरणों पर चर्चा करें।		
	<u>भाग-बी (न्यायालय की अवमानना अनधनियम-1971)</u>		
9)	न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करें: i. 'न्यायालय अवमानना' का विकास और आवश्यकता ii. न्यायालय अवमानना, सिविल और आपराधिक अवमानना का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य iii. न्यायालय अवमानना के लिए दंड की प्रकृति और सीमा iv. भारत में न्यायालयों को अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार v. न्यायालय अवमानना अधिनियम की संवैधानिक वैधता vi. सिविल और आपराधिक अवमानना में अवमाननाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव vii. अवमाननाकर्ता के लिए उपलब्ध उपचार viii. अवमानना के लिए दंड ix. न्यायाधीशों, वकीलों, राज्य और कॉर्पोरेट निकायों द्वारा अवमानना। x. कम से कम दो प्रमुख केस स्टडीज़: - • सिविल अवमानना • आपराधिक अवमानना		

भाग-ए

भाग-बी